



भारत डायनामिक्स लिमिटेड

और

रक्षा उत्पादन विभाग

रक्षा मंत्रालय

भारत सरकार

के बीच

वर्ष 2023-24 के लिए

अनुबंध ज्ञापन प्रलेख

भारत डायनामिक्स लिमिटेड – हैदराबाद (एकमेव) अनुबंध ज्ञापन प्रलेख 2023-24

क्र.सं.	मानदंड का प्रकार	इकाई	भारांक	लक्ष्य 2023-24
1	उत्पादन मूल्य	करोड़ रु.	25	3452
2	केपेक्स	करोड़ रु.	10	100
3	निर्यात से प्राप्त / समुद्रपार से प्राप्त आय	करोड़ रु.	4	250
4	पिछले वर्ष की तुलना में कुल आयात की खपत में आयी कमी - परिचालन से प्राप्त राजस्व में % के रूप में	%	4	17.92
5	राजस्व के प्रतिशत के रूप में ई बी आई टी डी ए	%	10	27.74
6	निवल मालियत पर लाभ	%	15	19.59
7	परिसंपत्ति मूल्य और पण्यवर्त (टर्नओवर) के बीच अनुपात	%	5	58.03
8	टी आर ई डी एस ('ट्रेड्स') पोर्टल द्वारा निर्दिष्ट समय के भीतर माल एवं सेवाओं के बीजकों की स्वीकृति / अस्वीकृति	%	5	100
9	अनुमोदित खरीद योजना के अनुसार कुल खरीद में जी ई एम ('जेम') के माध्यम से खरीद का %	%	2	100
8	परिचालनों से प्राप्त राजस्व के बदले कुल दिन की संख्या के रूप में ट्रेड प्राप्यताएँ	कुल दिन	3	45
11	कर पूर्व लाभ में से अनुसंधान एवं विकास / नवोन्मेषी पहल पर खर्च का %	%	2	8.88
12	शेयरधारकों को प्राप्त कुल लाभ	%	15	100
		कुल	100	

टिप्पणियाँ :

- ये लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्राक्कलनों पर आधारित हैं और ये लेखापरीक्षित अंकड़ों के आधार पर संशोधन के अनुरूप होंगे।
- 'बेंचमार्किंग' के निर्धारण के लिए प्रशासनिक मंत्रालय की भविष्य-दृष्टि को भी शामिल किया गया है।
- केंद्रीय सार्वजनिक उद्यमों (सी पी एस ई) के केपेक्स लक्ष्य - केंद्र सरकार के बजट दस्तावेजों के अनुसार (विवरणिका-26)।
- अनुसंधान एवं विकास / नवोन्मेषी पहल पर व्यय का लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2023-24 के कर पूर्व लाभ के आधार पर आधारित है और इसकी प्राप्ति की गणना सी पी एस ई के वार्षिक विवरण के आधार पर की जानी है।
- टी आर एस मानदण्ड को बी एस ई 500 इंडेक्स के आधार पर बेंचमार्क किया जाएगा और बेंचमार्क रेंज के अनुसार उपलब्धियों के लिए समानुपातिक आधार पर अंक दिये जाएँगे।
- 50% से 100% लक्ष्य-प्राप्ति पर शेयरधारकों को कुल लाभ (टी आर एस) के मानदंड छोड़कर अन्य सभी के लिए अंक समानुपातिक आधार पर दिये जाएँगे।
- 50% से कम लक्ष्य-प्राप्ति पर कोई अंक नहीं दिये जाएँगे।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अनुपालनात्मक मानदण्ड			
क्र.सं.	मानदण्ड	अंक	स्रोत / सत्यापन
1	सी पी एस ई द्वारा किये जाने वाले सी एस आर व्यय के संबंध में समय-समय पर जारी डी पी ई दिशा-निर्देश	-1	प्रशासनिक मंत्रालय
2	नैगमिक अभिशासन पर कंपनी अधिनियम, 2013 (या सूचीबद्ध कंपनी के संदर्भ में 'सेबी'(एल ओ डी ओ) विनियम के : (i) निदेशक मंडल का गठन (ii) निदेशक मंडल की समितियों (लेखापरीक्षा समिति आदि) (iii) निदेशक मंडल की बैठकों का आयोजन (iv) संबंधित पार्टी लेन-देन (v) प्रकटीकरण एवं पारदर्शिता	-3	नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी ए जी) / सांविधिक/साचिविक लेखापरीक्षा रिपोर्ट आदि के आधार पर प्रशासनिक मंत्रालय
3	'नीति' आयोग द्वारा दिये गये लक्ष्य : परिसंपत्ति नक़दीकरण संबंधी उपलब्धियाँ	-1	'नीति आयोग' की ओर से किये गये निर्धारण के आधार पर प्रशासनिक मंत्रालय
4	कुल वस्तु और सेवाओं की खरीद के प्रतिशत के मुकाबले एम एस ई से वस्तु या सेवाओं की खरीद - 25%	-1	'संबंध' पोर्टल के आधार पर प्रशासनिक मंत्रालय
5	कुल वस्तु और सेवाओं की खरीद के प्रतिशत के मुकाबले अ.जा./अ..ज.जा. उद्यमियों से वस्तु या सेवाओं की खरीद - 4%	-1	'संबंध' पोर्टल के आधार पर प्रशासनिक मंत्रालय
6	कुल वस्तु और सेवाओं की खरीद के प्रतिशत के मुकाबले महिला उद्यमियों से वस्तु या सेवाओं की खरीद - 3%	-1	'संबंध' पोर्टल के आधार पर प्रशासनिक मंत्रालय
7	सी पी एस ई में मानव संसाधन (कार्मिकों) के स्वास्थ्य एवं संरक्षा की बेहतरी के लिए किये गये प्रयास। (लक्ष्य प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा निर्धारित किया जाना है)।	-1	प्रशासनिक मंत्रालय
8	दि. 04-05-2020 की डी पी ई की कार्यालय ज्ञापन संख्या डीपीई-7 (4)/2007-वित्त में उल्लिखित अनुसार टी आर ई डी एस ('ट्रेड्स') से संबंधित प्रावधान का अनुपालन	-1	प्रशासनिक मंत्रालय



अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / प्रबंध निदेशक
भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद

तारीख :



सचिव, रक्षा उत्पादन विभाग

तारीख :